आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 11/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

31/12/2020 दाता रामपति सिंह यादव, पिता– नथुनी सिंह यादव, ग्राम–सैदपुर धावा, थाना– अरवल, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
74	534	01 कठा	उतर–बाबुलाल सिंह यादव दक्षिण–कृत सिंह यादव पूरब–रूपलाल सिंह यादव पश्चिम–नन्दलाल सिंह यादव

मौजा– सैदपुर धावा, थाना नं०–23, थाना– अरवल,अंचल–अरवल, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन मॉग की गई। दाता के तरफ से रंजीत कुमार, पिता– बिनदेशवर सिंह, जो दाता के पोता उपस्थित हुए इनके द्वारा वर्ष 2018–2019 का राजस्व रसीद दीया गया, जिस में खाता संख्या 56, 57 है जमावंदी संख्या 172/6 है, जबकी दान पत्र में खाता संख्या 74 अंकित है। अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का अंगुठा का निशान है, एवं बाबुलाल सिंह का नाम गवाह में अंकित है। दिनांक 20.01.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं रामपति सिंह यादव, नथुनी यादव, नाम पर जमावंदी दर्ज है। सुर्यदयालय सिंह, धनजीत सिंह, विनेशर सिंह, रामजी सिंह का वर्तमान मैं दखल कब्जा है, जो भू–दाता को पुत्र है। भूमि रैयति खाता का है। किस्म धनंहर है। प्रस्तावित भूमि चूहदबंदी, गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालीक, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि जिसमें खाता संख्या खेसरा संख्या मौजा एवं रकवा अंकित है, वैसे मामले में सम्पुष्ट की कार्रवाई की जायेगी।

अतःअंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के प्रत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में वर्णित भूमि की संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी करपी को भेजे।

लेखापित, एवं संशोधित
31/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।